REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102022-239708 CG-DL-E-17102022-239708

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4699] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944 No. 4699] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4911(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 314 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
314	148बी	राजस्थान राज्य में कोटपुतली के निकट नई रारा सं48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में भिवानी, हांसी, टोहना, नारनौल, महेंद्रगढ़ (नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दारी खड को छोड़कर) मानसा को जोड़ते हुए और पंजाब राज्य में भटिंडा के निकट रारा-54 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला तथा <u>पुन: कोटपुतली के निकट खेड़की मुक्कर गांव पर नई</u> <u>रारा सं48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खैरथल, अलवर को जोड़ते हुए और राजस्थान</u> <u>राज्य में बुटियाना गांव के निकट एनई-4 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमागी</u>

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3851(अ), दिनांकित 17 अगस्त, 2022 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/18/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2022

S.O. 4911(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 314 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
314	148B	The highway starting from its junction with new NH No. 48 near Kotputli in the State of Rajasthan connecting (excluding Narnaul, Mahendergarh, Charkhi Dadri section) Bhiwani, Hansi, Barwala, Tohana in the State of Haryana, Mansa and terminating at its junction with NH 54 near Bathinda in the State of Punjab and again starting from its junction with new NH No. 48 at Kherki Mukkar village near Kotputli connecting Khairthal, Alwar and terminating at its junction with NE 4 near Village Butiyana in the state of Rajasthan.

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3851(E), dated 17th August 2022.

[F. No. NH-14012/18/2022-P&M] RAJESH GUPTA, Director